

जीवन सीमाति करने वाले रोग के साथ जीना

गंभीर प्रकार के या जीवन सीमाति करने वाले रोग के लिए नदिान कथिया जाना आपके और आपके परिवार/ whānau के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। यह भविष्य के बारे में आशंकाओं और चिंताओं से भरा हुआ एक व्यग्रतापूर्ण समय हो सकता है। आपका डॉक्टर और आपकी देखभाल करने वाली टीम इस बारे में कई प्रश्नों के उत्तर दे सकती है कि भविष्य में क्या होगा। अपने जीवन के इस अगले चरण के लिए योजना बनाते समय नीचे दी गई कुछ जानकारी से आपको और आपके परिवार को सहायता मिल सकती है।

आगे की योजना बनाना

जब आप किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हों, तो आपके और आपकी देखभाल करने वाले लोगों के लिए बहुत सी बातों के बारे में विचार करना आवश्यक होता है।

क्या हो रहा है, इसके बारे में अपने परिवार के साथ बात करना कभी-कभी कठिन हो सकता है, परंतु इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है कि सभी लोग आगे की घटनाओं के लिए तैयार रहें।

यह इस बारे में भावनाओं और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का एक अवसर भी हो सकता है कि आप अपने अंतिम दिन कहाँ और कैसे बिताना चाहते/चाहती हैं।

अग्रिम देखभाल नियोजन (Advance Care Planning)

अग्रिम देखभाल नियोजन भविष्य में आपकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए चर्चा करने और साझा योजना बनाने की एक प्रक्रिया होती है। इसमें आप, आपका परिवार/ whānau और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शामिल होते हैं। अग्रिम स्वास्थ्य नियोजन नमिन्लिखित बातों के आधार पर आपको अपनी देखभाल के लिए प्राथमिकताएँ विकसित करने और उन्हें व्यक्त करने का अवसर देता है:

- आपके व्यक्तिगत विचार, सँस्कृत और मूल्य
- आपके वर्तमान और भविष्य के संभावित स्वास्थ्य के बारे में बेहतर समझ
- उपचार और देखभाल के लिए उपलब्ध विकल्प

ACP भविष्य की देखभाल के लिए आपकी प्रासंगिक इच्छाओं, प्राथमिकताओं, मूल्यों और लक्ष्यों का एक रिकॉर्ड होता है। इस योजना को पूरा करके इसकी एक प्रति आपके जीपी, या प्रमुख स्वास्थ्य प्रदाता के पास आपके रिकॉर्ड के साथ सहेजकर रखी जा सकती है।

इस प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने जीपी से बात करें या वेबसाइट

www.endofliveservices.co.nz पर जाएँ।

स्थायी पावर ऑफ एटॉर्नी (Enduring Power of Attorney) नियुक्त करना

बहुत से लोग इस बारे में चिंता करते हैं कि जब वे स्वयं अपने नरिणय ले पाने में सक्षम या पर्याप्त रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएँगे, तो नरिणय कैसे लिए जाएँगे।

यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने बारे में नरिणय लेने की शक्ति निहित रखना चाहते/चाहती हैं, तो अपने व्यक्तिगत देखभाल और कल्याण के लिए उस व्यक्ति को अपने स्थायी पावर ऑफ एटॉर्नी (ईपीए) [Enduring Power of Attorney (EPA)] के रूप में नियुक्त करने के बारे में विचार करें।

जब तक आप स्वयं अपने लिए नरिणय ले पाने में सक्षम रहेंगे/रहेंगी, तब तक यह व्यक्ति आपके लिए नरिणय नहीं लेगा।

स्थायी पावर ऑफ एटॉर्नी (ईपीए) नियुक्त करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएँ:

www.ageconcern.org.nz या www.superseniors.msd.govt.nz

वसीयत बनाना

आप एक वसीयत बनाने के बारे में भी विचार कर सकते/सकती हैं।

वसीयत एक कानूनी दस्तावेज़ होता है, जो यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है कि आपका जीवन समाप्त हो जाने के बाद आपकी संपत्ति, आपकी पसंद के लोगों और आपकी वस्तुओं का ध्यान रखा जाएगा।

इसमें यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि आपकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा; इस व्यक्ति को आपकी वसीयत के निष्पादक (executor) के रूप में जाना जाता है।

वसीयतों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नमिन्लिखित वेबसाइटों पर उपयोगी जानकारी उपलब्ध है:

www.sorted.org.nz/guides/wills